भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1512
दिनांक 29.07.2025 को उत्तरार्थ

आरजीएसए के तहत आंध्र प्रदेश को धन का आबंटन

†1512. डॉ. बायरेड्डी शबरीः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य को कोई धनराशि जारी नहीं की गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) आंध्र प्रदेश में चालू वित्त वर्ष में आबंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि सहित आरजीएसए कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति क्या है;
(ग) राज्य में आरजीएसए के अंतर्गत बुनियादी ढाँचे के विकास, प्रशिक्षण, डिजिटलीकरण और अन्य पहलों सहित की गई गतिविधियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या आरजीएसए के अंतर्गत वित्तपोषण या परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश से कोई प्रस्ताव वर्तमान में केंद्र सरकार के पास लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) और (ख) मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) को क्रियान्वित किया और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को सक्षम बनाना है ताकि वे नेतृत्वकारी भूमिकाओं के लिए अपनी शासन क्षमताओं का विकास कर सकें और ग्राम पंचायतों को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाया जा सके। पूर्ववर्ती आरजीएसए साथ ही साथ संशोधित आरजीएसए योजना मांग आधारित है तथा धनराशि जारी करना विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है, जैसे केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) द्वारा वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन, वित्त मंत्रालय के निर्देशों

के अनुपालन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के साथ अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करना आदि। पिछले 5 वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य को 63.4 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा 316.22 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी गई जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा शामिल था। राज्य के पास पहले से ही 15.53 करोड़ रुपये की अव्ययित राशि उपलब्ध होने के कारण, अब तक कोई अतिरिक्त धनराशि जारी नहीं की गई है। अब तक, राज्य ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 4.85 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

(ग) वर्ष 2022-23 से आरजीएसए की संशोधित योजना के अंतर्गत, राज्य ने 500 कंप्यूटर खरीदे हैं और 11,92,351 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (TMP) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, संस्थान-वार/ जिला-वार प्रशिक्षित प्रतिभागियों की जानकारी **अनुलग्नक** -I में है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 617 पंचायत भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है और राज्य द्वारा बताया गया है कि 200 पंचायत भवन अभी निर्माणाधीन हैं।कंप्यूटर और पंचायत भवन की जिला-वार विवरण जानकारी **अनुलग्नक** -II में है।

(घ) आंध्र प्रदेश राज्य ने चालू वित्त वर्ष के दौरान आरजीएसए के घटक,अभिनव तथा आर्थिक विकास एवं आय में वृद्धि के अंतर्गत 9 परियोजनाएँ प्रस्तुत की हैं और वे विचाराधीन हैं। प्राप्त परियोजनाओं का विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

****

अनुलग्नक-I

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1512, जिसका उत्तरदिनांक 29/07/2025 को दिया जाना है,के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक (24.07.2025 तक) आंध्र प्रदेश राज्य में प्रशिक्षित प्रतिभागियों का संस्थान-वार/ जिला-वार विवरण।

क्र.सं.	**संस्थान का नाम**	**प्रतिभागियों की संख्या**
1	एपीएसआईआरडी	640996
2	जिला पंचायत संसाधन केंद्र (जिला - अनंतपुरमु)	32791
3	जिला पंचायत संसाधन केंद्र (जिला - श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर)	34055
4	जिला पंचायत संसाधन केंद्र (जिला - विशाखापत्तनम)	48460
5	जिला पंचायत संसाधन केंद्र (जिला - वाई.एस.आर. कडप्पा)	28593
6	जिला पंचायत संसाधन केंद्र (जिला - चित्तूर)	55621
7	जिला पंचायत संसाधन केंद्र (जिला - पूर्वी गोदावरी)	78224
8	जिला पंचायत संसाधन केंद्र (जिला - गुंटूर)	37488
9	जिला पंचायत संसाधन केंद्र (जिला - कृष्णा)	30176
10	जिला पंचायत संसाधन केंद्र (जिला - कुरनूल)	30494
11	जिला पंचायत संसाधन केंद्र (जिला - प्रकाशम)	35632
12	जिला पंचायत संसाधन केंद्र (जिला - श्रीकाकुलम)	40971
13	जिला पंचायत संसाधन केंद्र (जिला - विजयनगरम)	42760
14	जिला पंचायत संसाधन केंद्र (जिला - पश्चिम गोदावरी)	43630
15	विस्तार प्रशिक्षण केंद्र, बापटला	3617
16	विस्तार प्रशिक्षण केंद्र, समालकोटा	3988
17	विस्तार प्रशिक्षण केंद्र, श्री कालहस्ती	4855
	कुल	**1192351**

अनुलग्नक-II

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1512, जिसका उत्तर दिनांक 29/07/2025 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

ग्राम पंचायतों को 500 कम्प्यूटरों का जिलावार वितरण

क्र.सं.	**जिला**	**जिले वार डेस्क टॉप कंप्यूटर वितरित**
1	श्रीकाकुलम	31
2	विजयनगरम	31
3	पार्वतीपुरम मान्यम	21
4	विशाखापट्टनम	10
5	अनकापल्ली	28
6	अल्लूरी सीताराम राजू	20
7	काकीनाडा	9
8	पूर्वी गोदावरी	9
9	डॉ.बी.आर.अम्बेडकर कोनासीमा	9
10	पश्चिम गोदावरी	12
11	एलुरु	16
12	कृष्णा	19
13	एनटीआर	12
14	गुंटूर	12
15	पलनाडु	20
16	बापतला	16
17	प्रकाशम	23
18	एस पी एस आर नेल्लोर	27
19	नंदयाल	20
20	कुरनूल	16
21	वाई एस आर कडपा	23
22	अन्नामय्या	19
23	श्री सत्य साईं	16
24	अनंतपुरम	20
25	तिरुपति	34
26	चित्तूर	27
कुल		500

<u>निर्माणाधीन पंचायत भवनों का जिले वार विवरण</u>

क्र.सं	जिला	स्वीकृत भवन
1	पार्वती पुरम मान्यम	88
2	ए एस आर	53
3	एलुरु	1
4	बापतला	1
5	प्रकाशम्	1
6	वाई एस आर	56
	कुल	200

अनुलग्नक-III

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1512, जिसका उत्तर दिनांक 29/07/2025 को दिया जाना है, के भाग (घ) **के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।**

वर्ष 2025-26 में आरजीएसए के अंतर्गत आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत अभिनव परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राशि (करोड़ रुपये में)
1.	अराकू - कैम्पिंग और कारवां गांव, एएसआर जिला	5.00
2.	कुचिपुड़ी –हैरिटेज विलेज, कृष्णा जिला	3.00
3.	एतिकोपाका –टॉय विलेज, अनाकापल्ली जिला	3.00
4.	अराकू - क्राफ्ट विलेज, एएसआर जिला	3.50
5.	गांडीकोटा –लेमन विलेज, कडपा जिला	3.00
6.	मारेडुमिलि –बम्बू विलेज, एएसआर जिला	3.00
7.	लेपाक्षी –सिल्क विलेज, श्री सत्य साईं जिला	3.00
8.	उप्पाडा - बुनकर गांव, काकीनाडा जिला	3.00
9.	आंध्र प्रदेश के ग्रामीण परिवारों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों पर व्यवहार संबंधी परिवर्तन लाने के लिए ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण	6.00

***